न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —46/2018

अनवान : —

1. औमप्रकाश पुत्र श्री चिरंजीलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. सांवलराम पुत्र सरदारा जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. दारासिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति खाती निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. फतेहसिंह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. रविकान्त पुत्र जवाहरलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
5. कृष्ण कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
6. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. उपपंजीयक छानीबड़ी

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 8(2) राज0 कॉलोनाईजेशन जनरल कण्डीशन एक्ट के तहत रास्ता स्वीकृत बाबत।</u>

उपस्थिति :—श्री श्रवण सहारण **प्रार्थी**
श्री विक्रम शर्मा **अप्रार्थीगण**

<u>निर्णय</u> दिनांकः 12/03/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक न0 3 जेजीडब्लयू के खाता सं 10/10 के मु0न0 16 के किला न0 11 ता 14 ,19 की 1.265है0 नहरी मय रास्ता कृषी भूमि प्रार्थी औमप्रकाश के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 3 जेजीडब्लयू के खाता सं 107/104 के मु0न0 16 के किला न0 16, 17, 24, 25 है0 नहरी कृषी भूमि अप्रार्थी सांवलराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 जेजीडब्लयू के खाता सं 55/51 मु0न0 16 के किला न0 6 ता 10, 18 कि कुल 1.518 है0 नहरी मय रास्ता कृषी भूमि अप्रार्थी सं 3 फतेहसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि जिसमें चक न0 3 जेजीडब्लयू के खाता सं 10/10 के मु0न0 16 के किला न0 11 ता 14 ,19 की 1.265है0 नहरी मय रास्ता कृषी भूमि प्रार्थी औमप्रकाश के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी औमप्रकाश की उपर वर्णित भूमि में आवगमन के लिए व कृषी भूमि को काश्त करने के लिए मु0 न0 16 के किला न0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

16 ता 18 के उत्तरी तरफ एक-एक बिस्वा रास्ता पूर्व से पश्चिम स्वीकृत करवाना चाहा रहा है क्योकि उससे उपर पूर्वी दिशा में किला न0 17 ता 19 में से रास्ता चालू है उसको प्रार्थी अपनी कृषी भूमि में आवागमन के लिए काम में लेता आ रहा है जिससे आगे निनाण से जनाणा मुख्य सड़क लगती है उस सड़क से उतरकर पश्चिमी दिशा में किला न0 17 ता 19 , व 16 ता 18 से ही एक मात्र रास्ता प्रार्थी के आवगमन के लिए जाता है। मु0 न0 16 के किला न0 16 ता 18 में रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः प्रार्थी मु0 न0 16 के किला न0 16 ता 18 में उत्तरी तरफ से पूर्व से पश्चिम एक-एक बिस्वा यानि सवा आठ फिट चौड़ाई में मौका पर रास्ता स्वीकृत करवा पाने का मजाज कानूनी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी सं 1 ता 5 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। अप्रार्थी सं 6 व 7 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया।

साक्ष्य प्रार्थी में ओमप्रकाश पुत्र श्री चीरजीलाल जाति जाट निवासी निनाण के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नामानंतरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति चक 3 जेजीडब्ल्यू खाता सं 107/104 प्रदर्श 1 है जमांबदी चक 3 जेजीडब्ल्यू सवंत 2071-74 खाता सं 55/51 प्रदर्श 2 जमाबंदी चक 3 जेजीडब्ल्यू खाता सं 107/104 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य अप्रार्थी में दारासिंह पुत्र राजेन्द्र जाति खाती निवासी निनाण के साक्ष्य करवाये गये जिसमें खाता सं 107/104 के मु0 न0 16 के कला न0 16, 17 दोनों किलों में एक-एक बिस्वा कृषी भूमि रास्ता के लिए ही खरीद करना बताया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र, चक न0 3 जेजीडब्लयू के खाता सं 10/10 के मु0न0 16 के किला न0 11 ता 14 ,19 की 1.265है0 नहरी मय रास्ता कृषी भूमि प्रार्थी औमप्रकाश के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 3 जेजीडब्लयू के खाता सं 107/104 के मु0न0 16 के किला न0 16, 17, 24, 25 है0 नहरी कृषी भूमि अप्रार्थी सांवलराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 जेजीडब्लयू के खाता सं 55/51 मु0न0 16 के किला न0 6 ता 10, 18 कि कुल 1.518 है0 नहरी मय रास्ता कृषी भूमि अप्रार्थी सं 3 फतेहसिंह के नाम राजस्व

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें से अप्रार्थी स 1 सावलाराम ने अप्रार्थी सं 2 को जरिए बैयनामा मु0 न0 16 के किला न0 16 ,17 दोनों किलों की एक–एक विस्वा उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम कृषी भूमि तथा अप्रार्थी सं 3 फतेहसिंह ने अप्रार्थी सं 4 व 5 को मु0 न0 18 की कृषी भूमि को जरिए बैयनामा बेचान कर दी जो पत्रावली में सलंग्न है। उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि जिसमें प्रार्थी औमप्रकाश की कृषी भूमि में आवगमन के लिए अन्यत्र कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी औमप्रकाश चक 3 जेजीडब्ल्यू के मु0न0 16 के किला न0 16 ता 18 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम एक–एक बिस्वा यानि सवा आठ फिट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत करवा पाने का मजाज कानूनी है। अतः प्रार्थना पत्र मुताविक राजीनामा स्वीकार करने का निवेदन किया।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 जनरल कण्डीशन एक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि चक न0 3 जेजीडब्लयू के खाता सं 10/10 के मु0न0 16 के किला न0 11 ता 14 ,19 की 1.265है0 नहरी मय रास्ता कृषी भूमि प्रार्थी औमप्रकाश के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 3 जेजीडब्लयू के खाता सं 107/104 के मु0न0 16 के किला न0 16, 17, 24, 25 है0 नहरी कृषी भूमि अप्रार्थी सांवलराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 जेजीडब्लयू के खाता सं 55/51 मु0न0 16 के किला न0 6 ता 10, 18 कि कुल 1.518 है0 नहरी मय रास्ता कृषी भूमि अप्रार्थी सं 3 फतेहसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें से अप्रार्थी स 1 सावलाराम ने अप्रार्थी सं 2 को जरिए बैयनामा मु0 न0 16 के किला न0 16 ,17 दोनों किलों की एक–एक बिस्वा उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम कृषी भूमि तथा अप्रार्थी सं 3 फतेहसिंह ने अप्रार्थी सं 4 व 5 को मु0 न0 18 की कृषी भूमि को जरिए बैयनामा बेचान कर दी जो पत्रावली में सलंग्न है। जिसमें **चक 3 जेजीडब्ल्यू के मु0न0 16 के किला न0 16 ता 18 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम एक–एक बिस्वा यानि सवा आठ फिट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत** किया जाता है। इसी अनुसार रास्ते का अंकन रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ